भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2801
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः पराली जलाना
2801. श्री हैबी ईडनः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने विशेष रूप से दिल्ली जैसे राज्यों में पराली जलाने के कारण हो रहे प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या देश के विभिन्न राज्यों में किसानों को पराली जलाने पर उनकी निर्भरता कम करने के लिए कोई सुविधाएं प्रदान की गई हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) प्राथमिक तौर पर 2018-19 से क्रियान्वित फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत धान की पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रयासों का समर्थन कर रहा है, जिसमें धान की पराली के इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

इस योजना के तहत, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए किसानों को मशीन की लागत का 50% और 30 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 80% की दर से वित्तीय सहायता ग्रामीण उद्यमियों (ग्रामीण युवा और उद्यमी के रूप में किसान), किसानों की सहकारी समितियों, पंजीकृत किसान समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) और पंचायतों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के कस्टम हायरिंग सेंटर (सी.एच.सी.) की स्थापना के लिए प्रदान की जाती है। यह योजना, फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, सरफेस सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल आदि जैसी मशीनों और उपकरणों के उपयोग तथा आगे के एक्स सीटू उपयोग के लिए पराली को इकट्ठा करने हेतु बेलर और स्ट्रॉ रेक को बढ़ावा देती है।

इन राज्यों में उत्पन्न धान की पराली के कुशल बाहरी प्रबंधन को सक्षम करने के उद्देश्य से, 1.50 करोड़ रुपये तक की लागत वाली मशीनरी की पूंजीगत लागत पर 65% की दर से वित्तीय सहायता के साथ धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला के लिए परियोजनाएं स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य बायोमास बिजली उत्पादन और जैव ईंधन क्षेत्रों में विभिन्न अंतिम उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए धान की पराली की एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना है।

इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2018-19 से 2024-25 (दिनांक 28 फरवरी 2025 तक की स्थिति के अनुसार) की अवधि के दौरान, इन राज्यों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) को 3698.45 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। राज्यों ने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के 41,900 से अधिक सी.एच.सी. स्थापित किए हैं और इन सी.एच.सी. तथा इन राज्यों के किसानों को वैयक्तिक रूप से 3.23 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की आपूर्ति की गई है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के कृषि भौतिकी प्रभाग के अंतर्गत कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोईकोसिस्टम मॉनिटरिंग और मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस (सी.आर.ई.ए.एम.एस.) प्रयोगशाला द्वारा जारी रिपोर्टों के अनुसार, पिछले वर्ष दिनांक 15 सितंबर से 30 नवंबर के बीच पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में धान की पराली जलाने की 42962 घटनाएं हुई थीं जो इसी अवधि के लिए वर्ष 2024 के दौरान घटकर 18457 रह गई हैं और ये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में धान की पराली जलाने की घटनाओं में 57 प्रतिशत की कमी को दर्शाते हैं।

*****